28/2/22

प्रार्थी की ओर से वकील उपस्थित
प्रार्थी अधिवक्ता की ओर से वकील उपस्थित
ने प्रार्थना पत्र 6 R 17 CPC का जवाब
देना बहस किया की। वकील उपस्थित की
दलीलों व प्रार्थी के उपस्थित दस्तावेजात
प्रमाण के मद्दे नजर सीमा विवाद के आधार
पर हम यह नतीजे पर पहुंचे हैं कि वकील
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6 R 17 CPC स्वीकार
किया जाता है तथा वाद के उत्तरी को संशोधन
दरखास्त लगे स्थायी से किया जाता है तथा
सीमा विवाद के संबंधित रिपोर्ट वाद में पहले गई
है वे तहसीलदार जयपुर के आगे अपील है
तहसीलदार जयपुर के पुराना सीमा हाल
वादग्रस्त का सीमा निर्धारण का आगे पक्ष
ही वाद का निस्तारण किया जाता है

महायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:50:15 IST
Reason: SelfAttested

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर जयपुर शहर

बनाम

मुकदमा संख्या / वर्ष अभिमन हरिनारायण आदि / 20 19 / 2019

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		रहेगा। ऐसे मे हम इस नतीजे पर पहुंचे है की विपक्षगण भूमि 21 जालगढ़ बावड़ी प.ह. सरनाडूंगर के अ.नि. फिरायालाल व हसीन वगैरा जयपुर के विपक्ष भूमि ख.नं. 278/2, 277/2 बावड़ी एवं पगडंडी भूमि ख.नं. 274 के मध्य की सीमा पर किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ मजाहमत या निर्माण तक नहीं करने हेतु आपको पाबन्द किया जाता है। फरियादी को नक्शे के बाद हिस्सा पैमाना मुताबिक हिस्सा दखील कराना है।	

अरशदीप बरार (आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर
जयपुर शहर प्रथम

Signature Not Verified

Digitally signed by Arshdeep Brar
Date: 2022.03.08 15:50:15 IST
Reason: SelfAttested